ई-मेल

मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग

निर्वाचन भवन

58, अरेरा हिल्स, भोपाल (म.प्र.)—462 011

ज्ञापन क्र. एफ-57-01/2009/तीन/1308 दिनांक 19/11/2009

प्रति,

कलेक्टर एवं
जिला निर्वाचन अधिकारी
(स्थानीय निर्वाचन)
जिला—समस्त
म0प्र0

विषयः—प्रतीक आवंटन संबंधी दिशा निर्देश।

अनेक जिलों में यह भ्रांति है कि जिन उम्मीद्वारों द्वारा ''प्रथम'' नाम निर्देशन पत्र निर्दलीय के रूप में भरा गया एवं उन्हीं के द्वारा किसी मान्यता प्राप्त राजनैतिक दल के चिन्ह की मांग करते हुए दूसरा नाम निर्देशन पत्र भरा जाता हैं तो उसे मुक्त अथवा आरक्षित प्रतीक आवंटित होगा । इस संबंध में कृपया मध्यप्रदेश नगरपालिका निर्वाचन नियम 31(1) (घ) का अवलोकन करें जिसके अनुसार ''मान्यता प्राप्त राजनैतिक दल द्वारा खड़े किये गये अभ्यर्थियों को केवल वही प्रतीक आवंटित करेगा, जो उस दल के लिए आरक्षित है, और कोई अन्य प्रतीक आवंटित नहीं करेगा ।'' नियम 31(2) में उन शर्तो का वर्णन है जिनके पूरा करने पर अभ्यर्थी किसी मान्यता प्राप्त राजनैतिक दल द्वारा खड़ा किया गया समझा जाएगा ।

2/ नाम निर्देशन पत्रों की प्रस्तुति और संवीक्षा तथा प्रतीक आवंटन संबंधी निर्देश पुस्तिका के पृष्ठ—15 के पद 37 का अवलोकन करें । इसमें प्रथम नाम निर्देशन पत्र में उल्लेखित प्रतीकों का संबंध मुक्त प्रतीकों के आवंटन से है । यहां पुनः स्पष्ट किया जाता है कि यदि किसी अभ्यर्थी द्वारा प्रथम नाम निर्देशन पत्र निर्दलीय अभ्यर्थी के रूप में भरा गया हो और बाद में वह किसी मान्यता प्राप्त राजनैतिक दल के अभ्यर्थी की शर्तो को पूरा करता है उसे मान्यता प्राप्त राजनैतिक दल के लिए आरक्षित निर्वाचन प्रतीक ही आवंटित किया जाए, निर्दलीय अभ्यर्थियों को आवंटित किये जाने वाले मुक्त निर्वाचन प्रतीक नहीं ।

3/ आयोग के पत्र कमांक एफ—69—1/09/2000/तीन/1243 दिनांक 16/11/2009 द्वारा नगरपालिका निर्वाचन नियम, 1994 के नियम, 31 में संशोधन की जानकारी प्रेषित की गयी है जिसे यथास्थान पर चस्पाकर कार्यवाही सुनिश्चित करें ।

कृपया उक्त के संबंध में म0प्र0 नगरपालिका निर्वाचन नियम, 1994—संस्करण 2009 के पृ0क0 19 एवं 20 में उल्लेखित नियम—30 एवं 31 के प्रावधानों का पालन सुनिश्चित करें ।

(अनुपम राजन)
सचिव,
मध्य प्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग, भोपाल
दूरभाष कमांक—0755—2555527

57........